संख्याः 3165 बी/11–5/14(1)/78

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/प्रशासक,
नगरपालिका, उत्तर प्रदेश।

नगरपालिका अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 7 नवम्बर, 1979

विषयः– नगर पालिकाओं द्वारा निर्मित दुकानों/भवनों/
भूखण्डों के निस्तारण की प्रकिया

महोदय,

शाशकीय विज्ञपित संख्या 2462 बी/11–5–55(68)/70 दिनांक 18 अक्टूबर,1973 के अधीन प्रकाशित "टांसफर ऑफ प्रापर्टी वेस्टेड इन दि बोर्ड (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1973 के नियम 3 तथा 3–क में प्रतिपादित प्राविधानानुसार नगरपालिका बोर्ड अपने में निहित स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण अथवा पट्टा सार्वजनिक नीलामी अथवा सार्वजनिक टेण्डर आमन्त्रित करके करेगा किन्तु जब कभी ऐसा करना सम्भव न हो तो उन कारणो का उल्लेख करते हुए बोर्ड शासन का पूर्वानुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त करेगा। उपरोक्त प्रकरण मे गत शासनादेश संख्याः1073 बी/11–5–14(1)/78 दिनांक 26 जून, 1978 के अन्तर्गत पुनः सम्बन्धित नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया था।

2. शासन द्वारा प्रायः यह अनुभव किया जा रहा है कि तथा कथित नियमों के प्राविधानों के अनुसार पालिकाओं की स्थावर सम्पत्ति के सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक टेण्डर के आधार पर अन्तरण अथवा पट्टे पर दिये जाने में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति तथा समाज के पिछड़े वर्ग के असमर्थ लोग नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों/भवनों/भूखण्डों के आवंटन से वंचित रह जाते हैं। नीति विषयक इस महत्वपूर्ण मामले पर शासन द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका द्वारा तैयार किये गये दुकानों/भवनो/तथा भुखण्डो के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये क्रमशः 18, 2 तथा 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में असीमित भूखण्डों/भवनों आदि के लिए नीलामी उक्त वर्ग–विशेष के व्यक्तियों तक आरक्षण प्रतिशत को दृष्टिगत करते हुए सीमित रखी जाये।

3. नगरपालिका द्वारा तैयार किये गये ऐसे भूखण्ड, आवासीय भवन जिनका विक्रय हायर

परचेज प्रणाली द्वारा किया जाता हो वहाँ उक्त वर्ग के व्यक्तियों से निर्धारित कीमत आवंटन करने वाली संस्था के विवेकानुसार आसान किस्तों में वसूल किया जाय। निर्धारित मूल्य में ब्याज भी शामिल होगा। और किसी भी सूरत में निर्धारित मुल्य से कम मूल्य पर दूकानों/भवनो/भूखण्डों का विकय नहीं किया जायेगा।

4. उपरोक्त प्रसंग में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने जिले की समस्त नगर पालिकाओं को शासन के उक्त निर्णय से अवगत कराके तथा तदनुसार कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश तत्काल प्रसारित करा दें। शासन के उक्त निर्णय तत्काल प्रभावी होंगें। कृपया समस्त नगरपालिकाओं द्वारा इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

5. शासकीय आदेश संख्या 1073 बी/11–5–14(1)/78, दिनांक 26 जून 1978 तदनुसार संशोधित माना जायेगा।

भवदीय,
ह.
चन्द्र कुमार वर्मा
विशेष सचिव

संख्या बी(1)/11–5–14(1)/78, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त नगरमहापालिका के प्रशासक।
4. प्रभारी अधिकारी, समस्त नगरपालिका, उत्तर प्रदेश।
5. स्वायत्त शासन सचिव/आवास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,
ह.
चन्द्र कुमार वर्मा
विशेष सचिव